सं0— 466/XXVIII (3) 2005—11/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
पौड़ी।

चिकित्सा अनुभाग—5 देहरादून: दिनांक 06 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2005

विषय: राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय कुनाव तथा किन्सुर (पौड़ी) के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र सं0—7प/1/एस0एच0ओ0/22/2004/23450 दिनांक 20.10.2005 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश सं0—86 XXVIII (3) 2005—11/2005 दिनांक 29.03.2005 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय कुनाव तथा किन्सुर के भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 41,78,000—00 (रू0 इकतालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— एकमुश्त प्राविधानों का कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2— कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3— उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक, समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल तथा अवर परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4— स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन को कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5— आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य का सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

0— उक्त व्यय वर्ष 2005—06 में अनुदान संख्या —12 के लेखाशीर्षक 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत —02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110— अस्पताल तथा औषधालय, 91—जिला योजना, 9102—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनो का निर्माण पूर्ण किया जाना, 24—वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा

1— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 स0—248/वित्त अनुभाग—3/2004 दिनांक 10.12.2005 2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या0—493/XXVIII—3—2005—11/2005 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

— महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
— निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
— कोषाधिकारी, पौडी।
— जिलाधिकारी, पौडी।
— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल देहरादून।
— क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल
— निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
— वित्त अनुभाग—3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

( धनराशि लाख रु0 में )

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | जनपद | निर्माण इकाई | स्वीकृत लागत | गत वर्ष अवमुक्त धनराशि | वर्ष 2005–06 में स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रा0एलो0चि0 दुगाल | पौड़ी | ग्रा0का0 नि0 | 33.68 | 15.00 | 18.68 |
| 2 | रा0एलो0चि0 किनसुर | पौड़ी | ग्रा0का0नि0 | 38.10 | 15.00 | 23.10 |
| | योग | | | 71.78 | 30.00 | 41.78 |

( रु0 इकतालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र )

( अतर सिंह )
उप सचिव।